



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180401

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4696 सन् 2026

उमा कांत मौर्य

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अंजू शुक्ला, कुँवर सौरभ सिंह, शैलेश पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. सूची दोहराई गई।
2. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया गया।
3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश पाण्डेय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव पाण्डेय को सुना गया।
4. यह आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/त्वरित विचारण न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 727 सन् 2016, धारा 147, 323 एवं 506 भारतीय दंड संहिता, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-मिर्जापुर से उत्पन्न वाद संख्या 2806 सन् 2016 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सूरज एवं अन्य) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.06.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
5. आक्षेपित आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के उन्मोचन आवेदन को निरस्त कर दिया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपराध में पुनरीक्षणकर्ता की संलिप्तता के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं था और आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने गंभीर अनियमितता एवं अवैधानिकता की है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथन में उक्त अपराध में पुनरीक्षणकर्ता की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है और आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता एवं सूचनाकर्ता दोनों झूठा आरोप लगा रहे हैं, इसके अतिरिक्त पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार, पीड़िता ने धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने कथन में पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है। प्रथम सूचनाकर्ता ने भी उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया है। अतः विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य से पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए जाने का कोई आधार नहीं था।
7. आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इससे पूर्व पुनरीक्षणकर्ता ने उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें गलत धारा 354-क भारतीय दंड संहिता का उल्लेख किया गया था, जिसके अंतर्गत उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और पूर्व उन्मोचन आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2026 को निरस्त कर दिया गया था। तत्पश्चात पुनरीक्षणकर्ता ने उचित धाराओं के अंतर्गत दूसरा उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
8. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य की पर्याप्तता का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने यह विधिक आपत्ति उठाई है कि दूसरा उन्मोचन आवेदन विचारणीय नहीं था, क्योंकि प्रथम उन्मोचन आवेदन गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। उपर्युक्त के दृष्टिगत, इस पुनरीक्षण में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के दृष्टिगत, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को देखते हुए यह आपराधिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पुनरीक्षण पोषणीय है अथवा नहीं। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि इससे पूर्व पुनरीक्षणकर्ता ने उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2026 को गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। तत्पश्चात पुनरीक्षणकर्ता ने दूसरा उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे भी आक्षेपित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

10. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से तर्क यह है कि चूंकि पूर्व उन्मोचन आवेदन गलत धारा का उल्लेख करते हुए, धारा 354-क भारतीय दंड संहिता जोड़कर प्रस्तुत किया गया था, जबकि उक्त धारा के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता को समन नहीं किया गया था, इसलिए दूसरा उन्मोचन आवेदन विचारणीय था। मैं पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत नहीं हूँ। उन्मोचन आवेदन के शीर्षक में मात्र गलत धारा का उल्लेख किया जाना, पुनरीक्षणकर्ता को उन्हीं आधारों पर दूसरा आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं देता है, जब तक कि उसके कारण उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

11. वर्तमान वाद में यह विवादित नहीं है कि पूर्व आवेदन में पुनरीक्षणकर्ता ने धारा 354-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के संबंध में कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया था और विद्वान विचारण न्यायालय के दिनांक 19.03.2026 के आदेश से यह प्रदर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके प्रथम उन्मोचन आवेदन को निरस्त करते समय धारा 354-क भारतीय दंड संहिता पर भी विचार नहीं किया था। यह भी विवादित नहीं है कि उसी आधार पर दूसरा उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

12. अतः प्रथम उन्मोचन आवेदन का गुण-दोष के आधार पर निर्णय हो जाने के पश्चात उन्हीं आधारों पर दूसरा उन्मोचन आवेदन पोषणीय नहीं था। अतः विचारण न्यायालय द्वारा उसे निरस्त करने में कोई अनियमितता एवं अवैधता नहीं की गई है। इसलिए आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि अथवा अवैधता नहीं है और उसमें ऐसी कोई विकृति भी नहीं है, जो इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप को उचित ठहराए।

13. अतः यह आपराधिक पुनरीक्षण कोई बल नहीं है और तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

31 अगस्त, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदित्य जी

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”